Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 14 of 2016

(Jamui SC/ST P.S. Case No.- 20/2014)

Date of Judgement : 01-04-2026

State of Bihar through informent Ram Bhajan Das Vs. Sajan Ram & others

बिहार राज्य द्वारा सूचक/परिवादी राम भजन दास

बनाम

1. **संजय राम,** उम्र 46 वर्ष, पिता–स्व0 तिलेश्वर राम,
2. **आशा देवी,** उम्र 44 वर्ष, पति–संजय राम,

दोनों निवासी ग्राम–मझवे, थाना व जिला–जमुई।

आरोप भा0द0वि0 की धारा 337, 504/34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत

अभियोजन पक्ष की ओर से– **श्री मनोज कुमार दास, विद्वान विशेष लोक अभियोजक**

बचाव पक्ष की ओर से– **श्री मुरलीधर पासवान, विद्वान अधिवक्ता**

दिनांक :–01.04.2026

निर्णय

1. परिवादी राम भजन दास के द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, जमुई के न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया गया, जिसे परिवाद सं0–454सी/2014 के रूप में पंजीकृत हुआ तथा जो दं0प्र0सं0 की धारा 156(3) के अंतर्गत संबंधित थाने पर कांड अंकित करने एवं अनुसंधान हेतु भेजा गया। तद्परांत जमुई एस0सी0/एस0टी0 थाना में यह काण्ड प्राथमिकी संख्या–20/2014 के रूप में भा0द0वि0 की धारा 323, 341, 354, 427, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(x)(xi) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए यह कांड दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त प्राथमिकी के सभी चार अभियुक्त संजय राम, साजन राम, आशा देवी, एवं जगदीश राम अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या–27/2014 भा0द0वि0 की धारा 337, 504, 506 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में इस न्यायालय ने आरोप पत्र में अंकित उपरोक्त चारों अभियुक्तगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध के लिए मामले (Case) में संज्ञान लिया। एक अभियुक्त साजन राम को किशोर होने के आधार पर उसका अभिलेख पृथक कर किशोर न्याय परिषद (J.J.B) को अंतरित किया गया।

2. परिवादी रामभजन दास पिता–स्व0 दाहू दास के परिवाद पत्र, जिसके आधार पर थाने पर यह कांड अंकित हुआ, के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार रहे है कि वह (परिवादी) दिनांक–22.03.2014 को जमुई में डॉ0 मनोज कुमार सिंह के यहां अपनी बड़ी पुतोहू रूबी देवी को प्रसव कराने हेतु आया था। उसके साथ गवाह गोरेलाल दास भी जमुई में

ही था तथा उसके परिवार के अन्य सदस्य भी जमुई में ही थे क्योंकि पुतोहू रूबी देवी का आपरेशन से बच्चा हुआ था। परिवादी के घर पर सिर्फ उनकी पत्नी सावित्री देवी थी। परिवादी की जमीन से सटा अभियुक्तगण की जमीन है, जिसको लेकर विवाद चल रहा है और अमीन द्वारा नापी कराकर अभियुक्तगण दिवाल दे दिया था परंतु उस जमीन के प्रति अभियुक्तगण की मंशा हड़पने की है। **जब परिवादी की पत्नी घर पर अकेली थी और परिवादी का सारा परिवार जमुई में डॉ0 मनोज सिंह के यहां था तो अभियुक्तगण परिवादी के जमीन के पास अपना चारदीवारी तोड़कर परिवादी के जमीन में एक हाथ बढ़कर दिवाल देने हेतु मिस्त्री एवं मजदूर बुला लिया और कार्य प्रारम्भ कर दिया।** जिसका विरोध परिवादी की पत्नी ने किया तो अभियुक्त सं0–1 साजन राम बोला कि ''हरामजादी चमैन यह दीवाल एक हाथ आगे बढ़ेगा, वह किसी अमीन की नापी को नहीं मानता है।'' परिवादी की पत्नी ने गाली देने से मना किया तो अभियुक्त साजन राम उसकी (परिवादी की) पत्नी के साथ मारपीट करने लगा और सभी के सामने परिवादी की पत्नी सावित्री देवी का साड़ी खोल दिया और अभियुक्त सं0–2 जगदीश राम ने सावित्री देवी का ब्लाउज फाड़ दिया और बोला कि ''साली चमैन आज तुमको कौन बचाएगा'' और वह भी परिवादी की पत्नी सावित्री देवी के साथ मारपीट करने लगा। अभियुक्त सं0–4 आशा देवी आयी और वह उसकी (परिवादी की) पत्नी का झोंटा पकड़कर बुरी तरह से मारपीट करने लगी। हल्ला होने पर गवाह राजकुमार दास एवं नरेश दास दौड़कर आये तो परिवादी की पत्नी की जान बचायी। परिवादी की पत्नी ने फोन कर इस घटना की सूचना परिवादी को दी। चूकि परिवादी की पुतोह का आपरेशन होने वाला, इसलिए वह तुरंत घर नहीं आये और बोले कि ऑपरेशन होने के बाद वह आते हैं। अगले दिन परिवादी 4 बजे शाम अपने घर गया और अपनी पत्नी तथा गवाह राजकुमार दास एवं नरेश दास से पूरी घटना की जानकारी लिया और अपने आस पास के लोगों को प्रचारते हुए अभियुक्त के घर के सामने गया और बोला कि जब उसका सारा परिवार जमुई में था तो आप लोगों ने उसकी पत्नी के साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया तो इस पर अभियुक्त सं0–3 संजय राम बोला कि ''मादरचोद, चमार तुम लोग का इज्जत होने लगा है। साला चमार तुम्हारा घर इस जमीन में कभी नहीं बनेगा। ज्यादा बोलोगे तो चमैन की तरह तुमको भी मारकर सुला देंगे। हम लोगों से मत लगो, नहीं तो गांव से उजार देंगे तथा जान मारकर फेंक देंगे।'' इस पर परिवादी ने जाति सूचक गाली देने से मना किया तो उनके साथ मारपीट करने लगा और जब परिवादी अपने घर में घुस गया तो ईट पत्थर फेंक कर परिवादी के घर का खपड़ा चूर दिया और बोला कि ''साला चमार जहां जाना है जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा।'' ईंट से परिवादी के पुत्र गोरेलाल दास की छाती में चोट आयी है।

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 14 of 2016

(Jamui SC/ST P.S. Case No.- 20/2014)

Date of Judgement : 01-04-2026

State of Bihar through informent Ram Bhajan Das Vs. Sajan Ram & others

3. इस मामले में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17.06.2016 को अभियुक्तगण संजय राम, आशा देवी एवं जगदीश राम के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 337, 504 सभी सपठित धारा 34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के लिये आरोप का गठन कर आरोप को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया, जिससे इन्होंने इंकार किया एवं विचारण की माँग की। इस मामले में एक अभियुक्त जगदीश राम की मृत्यु होने के कारण दिनांक–19.12.2026 को उसके विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही समाप्त की गयी।

4. इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 07 साक्षियों का साक्ष्य करवाया गया है। अभियोजन साक्षी संख्या 1. वंदना कुमार, 2. राम भजन दास (परिवादी), 3. गोरेलाल दास, 4. नरेश दास, 5. राजकुमार दास, 6. फेकन मंडल, एवं 7. विकास भारती (अनुसंधानक) है।

5. दं.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत लेखबद्ध अभिकथन (Statement) में अभियुक्तों ने घटना से इंकार किया है एवं स्वयं को निर्दोष होना कहा है।

मंतव्य (Findings)

6. **अभियोजन साक्षी संख्या 1 वंदना कुमारी** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना 3 साल पहले 10 बजे दिन की है। दूसरे दिन शाम 5 बजे का समय था। घटना के समय वह और उसकी सास सावित्री देवी घर पर थी। साजन, संजय, जगदीश दिवाल देने लगे। उसकी सास ने मना किया तो उसकी सास को अभियुक्तों ने चमैन कहा और कहा कि हटो दीवाल देंगे। दूसरे दिन उसके ससुर अभियुक्तगण के घर गये तो बोला चमार दीवाल दे देंगे और कुछ नहीं करोगे। साक्षी ने कहा कि वह न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तगण जगदीश राम एवं आशा देवी को पहचानती है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि **घटना के दिन वह अस्पताल में थी।** घटना की तारीख 22, वर्ष 2014 का है। उसका एवं साजन का घर अगल बगल है। साजन के घर का बाउंडरी नहीं बना है। **यह जमीन का झगड़ा तीन साल से है।** गांव में जमीन को लेकर पंचायत हुआ था। कौन कौन पंचायत किये थे, नहीं जानती है। **साजन राम बगैरह ने उसके ससुर पर भी मुकदमा किया है।** उसके गांव में उसकी जाति के 20–25 घर है। घटना के समय उसके जाति के लोग पहुंचे थे तथा गांव के लोगों को वह नहीं जानती है। यह मुकदमा उसके ससुर ने किया है। वह घटना के समय उपस्थित थी। यह घटना घर में हुआ है। उसने पुलिस को बयान दिया है। उसी दिन पुलिस के समक्ष बयान दिया था। पैरा–3 में साक्षी

ने कथन किया है कि पुलिस को यह नहीं कहा था कि घटना के दिन वह जमई अस्पताल में थी और उसे बच्चा होने वाला था। यह कहना गलत होगा कि वह घटना के दिन अस्पताल में थी। उसने दूसरे केस में साजन राम के विरूद्ध गवाही दी थी। यह कहना गलत है कि उसने झूठी गवाही दी है। यह कहना भी गलत है कि कोई घटना नहीं घटी थी और उन लोगों ने जमीन हड़पने के लिए यह झूठा केस किया है। यह कहना भी गलत है कि उसने अपने ससुर के कहने पर झूठी गवाही दी है।

7. **अभियोजन साक्षी संख्या 2 राम भजन दास,** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि **घटना आज से करीब साढे तीन साल पहले दिनांक–22.03.2014 को करीब 10 बजे दिन में उसकी पत्नी सावित्री देवी घर पर थी तथा शेष परिवार के लोग उसकी बड़ी पुतोह रूबी देवी को लेकर जमुई डॉ0 मनोज के क्लीनिक में थे।** संजय राम, जगदीश राम, साजन राम मिलकर उसके एवं साजन राम के बीच में दीवाल तोड़कर उसकी जमीन में दीवाल देने लगे तथा उसकी पत्नी को मारा तथा साली चमईन कहे तथा साजन राम ने उसकी पत्नी का साड़ी, जगदीश राय ने ब्लाउज फाड़ दिया। आशा देवी उसकी पत्नी का झोंटा पकड़कर पटक दी। उसकी पत्नी ने फोन कर उन लोगों को बताया। **दूसरे दिन घर जाकर आस पड़ोस से जानकारी लेकर साजन राम के घर गया तथा कहा तो अभियुक्तगण उसे मारने पर उतारू हो गये तथा गाली गलौज किये तथा साला चमार कहे।** उसके बाद थाना गये जहां केश नहीं लेने पर न्यायालय में नालसी दाखिल किया गया। वकील साहब को सब बात बताया तो नालिसी तैयार किया गया जिसे पढकर सुनाया गया, सही पाकर अपना दस्तखत किया, जिसे पहचानता हूँ इसे प्रदर्श–1 से चिन्हित किया जाता है। आज अभियुक्त संजय राम एवं आशा देवी उपस्थित है जिन्हें साक्षी पहचानता है। **प्रति परीक्षा (Cross Examination)** में साक्षी ने कथन किया है कि दिनांक–22.03.2014 को करीब 5 बजे सुबह अपनी पुतोह के इलाज हेतु जमुई घर से चलकर आ गये। उसी दिन एवं रात में जमुई में ही रहा। **दिनांक–22.03.2014 को वह घटना के समय घटनास्थल पर नहीं था।** सुनी सुनाई गवाही दी है। ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों के बीच जमीन संबंधी विवाद बहुत दिनों से चला आ रहा है तथा उसी जमीन के विवाद के कारण उसने यह झूठा केस किया है। पुलिस ने कहा कि कोर्ट में केस करो। केस करने के बारे में नालिस केश करने के पूर्व किसी वरीय पुलिस पदाधिकारी को नहीं कहा। न्यायालय में केस करने की तारीख याद नहीं है। वह जमुई से घर दिनांक–23.03.2014 को करीब 2 बजे गया था। उसके गांव में वर्तमान में मुखिया एवं सरपंच है। वकील साहब के कहने पर केस किया। सरपंच मुखिया को घटना के बारे में नहीं कहा था। उसका गांव करीब 2000 घर की बस्ती है। वहां सभी जाति, धर्म के लोग रहते है।

वर्ष 2017 को 26 जनवरी का दिन याद नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि उसने अभियुक्तों की जमीन हड़पने के लिए यह झूठा केस किया है।

8. **अभियोजन साक्षी संख्या 3 गोरेलाल दास,** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि यह घटना दिनांक–22.03.2014 दिन शनिवार समय 10 बजे दिन और 23.03.2014 दिन रविवार शाम 5 बजे की है। **दिनांक–22.03.20214 को उस दिन उसकी भाभी प्रेगनेंट थी। घर पर उसकी मॉ अकेली थी तथा बाकी सारा परिवार जमुई में था।** घर पर साजन राम, संजय राम, जगदीश राम, आशा देवी ये सभी लोग उसके जमीन में एक हाथ बढ़कर दीवाल दे रहे थे। इसपर उसकी मॉ ने रोक लगायी। तब साजन राम ने उसकी मॉ को हरामजादी, चमईन कहकर गाली दिया तथा उसकी मॉ का साड़ी खोल दिया और जगदीश राम ने उसकी मॉ का कुर्ता फाड़ दिया और बोला कि चमईन तुमको कौन बचाएगा। आशा देवी उसकी मॉ का बाल पकड़कर मारने लगी। उसके बाद उसकी मॉ ने घटना की सूचना उसके पिता को फोन पर दी **तब दिनांक–23.03.2014 दिन रविवार शाम 5 बजे उसके पिता जी ने संजय राम को बोला कि इस परिस्थिति में जब वे लोग जमुई में थे तो इस तरह की घटना को अंजाम क्यों दिया ? तब संजय राम बोला कि मादरचोद, चमार, तुमलोगों को इज्जत होने लगा। जासती करेगा तो जैसे चमईन को किया उसी तरह तुमको भी करेंगे।** इतना कहकर सभी अभियुक्तगण उसके पिता और उसके साथ मारपीट करने लगे। घर में घुसकर ईंट पत्थर चलाने लगे, छप्पड़ भी तोड़ दिया और एक ईंट उसके छाती पर भी चला दिया और उसके छाती पर काफी चोट आया। जिसका इलाज उसने गांव में कराया। साक्षी अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन वह जमुई में था। घटना के दिन उसकी मॉ घर पर अकेली थी। जमीन का झगड़ा नहीं है। जो बात गवाही के पहले दिन जमीन संबंधी बोला था वह सही है। उस जमीन से संबंधित नापी अमीन के द्वारा हुआ था। अमीन उस जमीन का जांच प्रतिवेदन मैप बनाकर दिया था। जिस दिन झगड़ा हुआ था उस दिन गांव के कुछ लोग पहुंचे थे। वह सिर्फ एक आदमी को ही पहचानता है, जो नरेश दास है। वह गांव में बहुत कम रहता है इस कारण अन्य लोगों को नहीं जानता हूँ। उसे नहीं मालूम है कि आशा देवी इस केस की अभियुक्तों ने उन लोगों पर केस किया है, पापा जानते है। उसने जमानत कराया है कि नहीं, उसे मालूम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आशा देवी, रामभजन दास, संत दास, गोरेलाल दास, दीपक दास एवं हीरालाल दास पर मुकदमा किया था जिसका केस नंबर उसे मालूम नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि आशा देवी, रामभजन दास, संत दास, गोरेलाल दास, दीपक दास एवं हीरालाल दास पर मुकदमा किया था जिसका केस नं0 जमुई महिला 91/2015 है। जिस पर दीवाल देने के बात कही जा

रही है, वह दीवाल अभी खुला हुआ है। उस जमीन से संबंधित मुकदमा न्यायालय में नहीं चला रहा है। इसके लिए गांव के मुखिया, सरपंच को सूचना दिया था। पंचायत हुई थी, पर वे लोग नहीं माने। नहीं मानने का कागज मुखिया सरपंच बनाये कि नहीं यह उसे मालूम नहीं है, पिता जी को मालूम है। यदि वह दीवाल नहीं देता तो केस मुकदमा नहीं होता। उस जमीन का चौहदी नहीं बता सकता है जिस जमीन पर झगड़ा चल रहा है। उसका खाता, खसरा और रकवा नहीं बता सकता हूँ। गाली गलौज एवं मारपीट के कारण झगड़ा हुआ और कोई कारण नहीं है। पुलिस में उसका बयान हुआ था। ऐसी बात नहीं है कि जमीन हड़पने के लिए उसके पिता जी ने अभियुक्तों पर झूठा मुकदमा किया है।

9. **अभियोजन साक्षी संख्या 4 नरेश दास,** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना आज से लगभग साढ़े 5 साल पहले समय 10:30 बजे की थी। वह उस समय घर पर था। हल्ला हुआ। हल्ला सुनकर यह देखने गये कि किस बात का हल्ला हो रहा है। वहां जाने के बाद देखा कि संजय राम की पत्नी और रामभजन की पत्नी दोनों के बीच झगड़ा हो रहा था। उसने पूछा कि तुम लोग झगड़ा क्यों करते हो। सामने कुछ जमीन का झगड़ा था। उसने झगड़ा करने से मना किया और बोला कि 5 आदमी बुलाकर मामला सुलझा लो। उसके बाद वह चला आया। आज न्यायालय में उपस्थित अभियुक्तों को पहचानता है। **प्रति परीक्षा**(Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि घटना के दिन रामभजन नहीं था। उसे जानकारी नहीं है कि रामभजन दास अपने पुतोहू की ऑपरेशन करवाने के लिए जमुई आया था। **घटनास्थल पर रामभजन दास की पत्नी और संजय की पत्नी आशा देवी के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसने घटनास्थल पर संजय राम, जगदीश राम, साजन राम को नहीं देखा। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हो रहा था। दोनों के बीच औरतों वाली गाली गलौज हो रही थी।** दोनों तरफ से गाली गलौज हो रही थी। संजय राम गांव में भी रहता और बाहर में भी रहता है। संजय राम गांव का है इसलिए पहचानता है।

10. **अभियोजन साक्षी संख्या 5 राजकुमार दास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि घटना 6 साल पूर्व सुबह 7 बजे की है। उस समय वह अपने घर पर था। जमीन के कारण झगड़ा हुआ है। हल्ला सुनकर झगड़ा की जगह गया। **जमीन के खातिर सवित्रि देवी के साथ आशा देवी ने मारपीट किया था।** आज संजय राम एवं आशा देवी न्यायालय में उपस्थित है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि **दोनों पक्षों में औरत–औरत में झगड़ा हो रहा था। दोनों पक्षों के तरफ से कोई मर्द झगड़ा में शामिल नहीं था। दोनों पक्ष जमीन पर अपना अपना दावा करते हैं।**

गांव के लोग आकर झगड़ा को छुड़ा दिये। इस केस में गवाही के रूप में रामभजन उसका नाम पूछकर दिया था। गांव के और भी लोग पहुंचे थे या नहीं, उसने किसी को नहीं देखा। वह जो भी बयान न्यायालय के समक्ष दिया है वह रामभजन के कहने पर दिया। इससे अधिक उसे कोई जानकारी नहीं है। आज भी न्यायालय में गवाही दिलाने के लिए उसे रामभजन लेकर आया है।

11. अभियोजन साक्षी संख्या 6 फेकन मंडल ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि **वह घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है। फलतः अभियोजन पक्ष द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही (Hostile) घोषित किया गया।**

12. अभियोजन साक्षी संख्या 7 विवेक भारती ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनांक–22.04.2014 को एस0सी/एस0टी थाना जमुई में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। कोर्ट परिवाद सं0–454सी/2014 के आधार पर एस0सी0/एस0टी0 थाना कांड सं0–20/2014 दिनांक–22.04.2014 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम की धारा 3(x)(xi) एवं भा0द0वि की धारा 323, 341, 354, 427, 504, 506, 34 अंकित कर कांड का अनुसंधान प्रारंभ किया। इस कांड के वादी रामभजन दास का पुनः बयान ग्राम मंझवे में जाकर लिया और अपने पुनः बयान में उसने प्राथमिकी (परिवाद पत्र) का पूर्ण समर्थन किया। इसके बाद इस कांड के साक्षी सावित्री देवी का बयान, साक्षी हीरालाल दास, साक्षी वंदना देवी, साक्षी पुष्पा कुमारी, साक्षी मुन्नी लाल दास का बयान लिया। सभी साक्षियों ने वादी के ही पुनः बयान को दोहराया तथा प्राथमिकी का पूर्ण समर्थन किया। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण प्रारंभ किया। इस कांड का घटनास्थल वादी एवं साक्षियों के समक्ष किया और पाया कि घटनास्थल जमुई थाना अंतर्गत ग्राम मंझवे वादी का घर है, जो पूरब रूख का मिट्टी खपड़पोस मकान तथा अभियुक्त संजय राम का ईंट पक्का का छतदार दक्षिण रूख का मकान जिसके सामने वादी के ईंट का छतदार पश्चिम रूख के मकान एवं अभियुक्त के मुख्य निकास के उत्तर तरफ से सहन जमीन है। **इसी सहन जमीन पर दोनों के बीच जमीन में दिवाल देने को लेकर आपस में गाली गलौज होने की बात बतायी जाती है जिसकी चौहदी निम्न प्रकार है**–पूरब में रामबली राम का मकान, पश्चिम में वादी का सहन जमीन, उत्तर में अभियुक्त संजय राम का मकान तथा दक्षिण में वादी एवं अभियुक्त का ईंट पक्का का छतदार मकान। इस कांड में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय का पर्यवेक्षण टिप्पणी प्राप्त किया जिसे कांड दैनिकी में अंकित किया। फिर उसका (साक्षी का) स्थानांतरण जमुई जिलादेश सं0–560/2014 के आलोक में लक्ष्मीपुर थाना हो गया और कांड का अग्रिम अनुसंधान भार अनुसूचित जाति/जनजाति थानाध्यक्ष नागेन्द्र पासवान को दिनांक–05.08.2014 को सौंपा। औपचारिक प्राथमिकी उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है इसे पहचानता है। इसे

प्रदर्श–2 अंकित किया जाता है। कोर्ट परिवाद सं0 को उसके द्वारा पंजीकृत किया गया जो उसके लिखावट एवं हस्ताक्षर में है इसे पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श 3 अंकित किया जाता है। **प्रति परीक्षा** (Cross Examination) में साक्षी ने कथन किया है कि **अनुसंधान के दौरान पाया कि दोनों पक्षों के बीच दीवाल देने को लेकर विवाद है।** वादी द्वारा उसे जमीन संबंधी कोई कागजात नहीं देखा। वह कांड दैनिकी में जमीन संबंधी ब्योरा नहीं लिखा है। **उसे वादी द्वारा डॉ0 मनोज कुमार सिंह का कोई इलाज का पर्चा (Prescription) नहीं दिया गया था और सिर्फ इलाज से संबंधित डॉ0 मनोज कुमार सिंह के यहां रहने का उल्लेख उसने कांड दैनिकी में किया।** वादी द्वारा द्वारा जमीन के नापी का कागजात उसे नहीं दिखाया गया और ना ही इस बात का उल्लेख उसने कांड दैनिकी में किया। जमीन का नापी कब हुआ और किसने किया यह भी उसे पता नहीं चला। उसने स्वतंत्र साक्षियों का बयान लिया। स्वतंत्र साक्षियों का बयान कांड दैनिकी के पारा 6, 7, 8, 9, 10 में अंकित है, इन सभी साक्षियों ने प्राथमिकी की बातों को दोहराये। **वादी और उनकी पत्नी वह किसी प्रकार का कोई जख्म नहीं देखा। उसे वादी या उनकी पत्नी के द्वारा फटा हुआ ब्लाउज व साड़ी नहीं दिखाया गया।** उसे उस गांव के मुखिया या सरपंच को उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और ना ही इनका बयान लिया। मंझवे गांव बहुत बड़ी बस्ती है। उसे इस गांव की आबादी के बारे में पता नहीं है, इसका उल्लेख उसने डायरी में नहीं किया है। घटनास्थल का नजरी नक्शा उसने नहीं बनाया। वह घ टनास्थल पर ईट व पत्थर का जिक्र कांड दैनिकी में नहीं किया है। घटनास्थल पर नया दिवाल दिया जा रहा था, कितने दिन का था वह नहीं जानता है। उसने इस कांड का आंशिक अनुसंधान किया है। ऐसा कहना गलत है कि उसका अनुसंधान टेबुल रिपोर्ट है।

13. **बचाव पक्ष की ओर से साक्षी संख्या 1 साहेब दास** ने अपने साक्ष्य की मुख्य परीक्षा (Examination-in-chief) में कथन किया है कि दिनांक–22.03.2014 एवं 23.03.2014 को शाम 5 बजे वह गांव में था। रामभजन दास की पत्नी सावित्रि देवी के साथ संजय राम एवं आशा देवी ने हल्ला हुजत, गाली गलौज एवं मारपीट नहीं किया था। उसने हल्ला नहीं सुना था। यह बिल्कुल झूठा केस है। राम भजन दास की पत्नी के साथ किसी तरह कोई घटना नहीं हुआ था। **प्रति परीक्षा** में साक्षी का कथन है कि गवाही हेतु उसे कोई नोटिस नहीं मिला था। राम भजन दास, जिसने झूठा केस किया था, उसी में गवाही देने आया है। आज गवाही देने के लिए संजय राम उसे लाया है।

14. इस मामले में अवधारण हेतु प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष इस मामले में उपरोक्त नामित अभियुक्तों के विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 337, 504/34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 14 of 2016

(Jamui SC/ST P.S. Case No.- 20/2014)

Date of Judgement : 01-04-2026

State of Bihar through informent Ram Bhajan Das Vs. Sajan Ram & others

दण्डनीय अपराध करने के आरोप को सभी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

15. मैंने उभय पक्षों की पूर्ण बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियोजन कथानक दो तिथि दिनांक–22.03.2014 एवं दिनांक–23.03.2014 की कथित घटना से संबंधित है, परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक–22.03.2014 को परिवादी राम भजन दास एवं परिवादी के अन्य सदस्य परिवादी राम भजन की बड़ी पुतोहु रूबी के प्रसव (Delivery) हेतु डॉ0 मनोज के क्लीनिक जमुई आये हुए थे तभी 10 बजे दिन में अभियुक्तगण ने परिवादी राम भजन दास की पत्नी सावित्री देवी, जो ग्राम मझवे स्थित घर में अकेली थी, को अभियुक्त साजन राम ने जमीन पर दिवाल देने के विवाद को लेकर गाली दी एवं गाली देने से रोकने पर अभियुक्त साजन राम ने मारपीट करने लगा एवं सभी के सामने उसकी पत्नी सावित्री की साड़ी खीची एवं अभियुक्त जगदीश राम ने ब्लाउज फाड़ा एवं साली चमैन कहकर मारपीट किया। अभियुक्ता आशा देवी आयी तो उसने सावित्री देवी का झोंटा पकड़कर मारपीट किया। **परिवादी की पत्नी सावित्री को राजकुमार दास एवं नरेश दास ने बचाया।** घटना की सूचना परिवादी को फोन द्वारा प्राप्त हुई तो वह घर आया एवं अगले दिन दिनांक–23.03.2014 को 4 बजे शाम को परिवादी अभियुक्त संजय राम के घर गया तथा उनकी पत्नी के साथ की गयी घ ाटना की शिकायत की तो अभियुक्त संजय राम ने परिवादी से बोला कि ''मादरचोद तुम लोगों का इज्जत होने लगा है एवं उसे मारकर सुला देने की धमकी दी एवं मारपीट किया एवं उसका घर चूर कर दिया। यहां उल्लेखनीय है कि परिवाद पत्र के अनुसार दिनांक–23.03.2014 की घ ाटना के समय घर पर परिवादी की पत्नी सवित्री देवी अकेली थी तथा परिवादी के घर के अन्य सदस्य उस समय जमुई स्थित डॉ0 मनोज के क्लीनिक में थे। अतः परिवादी एवं उसके घर के सदस्य, जो अभियोजन साक्षी सं0–1, 2 एवं 3 है, ने दिनांक–22.03.2014 की घटना को अपनी आंखों से नहीं देखा है। परिवाद पत्र के अनुसार परिवादी की पत्नी सावित्री को राजकुमार दास एवं नरेश दास ने बचाया था तथा नरेश दास एवं राज कुमार इस मामले में क्रमशः अभियोजन साक्षी संख्या–4 एवं 5 के रूप में परीक्षित हुए हैं तथा इन्होंने अपने अपने साक्ष्य में परिवाद पत्र में दर्ज तथ्यों का पूर्ण समर्थन नहीं किया है, अपितु सिर्फ यह कहा है कि **दोनों पक्ष जमीन पर दावा करते हैं। जमीन को लेकर महिला–महिला के बीच झगड़ा हो रहा था।** अभियोजन साक्षी सं0–4 नरेश दास ने अपने साक्ष्य में कहा है कि घटना 10:30 बजे दिन की है। **संजय राम की पत्नी एवं राम भजन की पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था।** अभियोजन साक्षी संख्या 5 ने कहा है कि **घटना 7 बजे सुबह की है। जमीन की खातिर सावित्री देवी के साथ आशा देवी ने मारपीट की थी।** स्पष्ट है कि घटना के समय में अंतर है एवं दोनों ही साक्षियों ने

Satyanarayan Sheohare

District & Addl. Sessions Judge I-Cum-Spl. Judge. SC/ST Act, Jamui

SC/ST Case no. 14 of 2016

(Jamui SC/ST P.S. Case No.- 20/2014)

Date of Judgement : 01-04-2026

State of Bihar through informent Ram Bhajan Das Vs. Sajan Ram & others

परिवाद पत्र में उल्लिखित तथ्य का समर्थन नही किया है। यहां उल्लेखनीय है कि यह स्वीकृत है कि पक्षकारो के बीच भूमि विवाद है। यह प्राथमिकी वर्ष 2014 की है। इन साक्ष्यों के आधार पर मैं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता से इस तर्क से पूर्णतः सहमत हूं कि अभियोजन पक्ष उपरोक्त नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध इस मामले में लगे आरोप भा0द0वि0 की धारा 337, 504/34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के अभियोग को सभी युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः

आदेश

उपरोक्त तर्क एवं विवेचनाओं तथा अभिलेख में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण **संजय राम एवं आशा देवी** को उनके विरूद्ध लगे भा0द0वि0 की धारा 337, 504/34 एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(i)(x) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के करने के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा उन्हें एवं उनके जमानतदारों को बंधपत्र के दायित्व से भी मुक्त किया जाता है।

मेरे द्वारा उद्घोषित लेखापित एवं
शुद्धित

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई।
दिनांक–01.04.2026

सत्यनारायण शिवहरे
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक–01.04.2026